डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 16 नवम्बर, 2024, डिस्पेच दिनांक 16 नवम्बर, 2024

| वर्ष 68 | अंक 12 | भोपाल | 16 नवम्बर, 2024 | पृष्ठ 12 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

आयुष्मान योजना का सभी बुजुर्गों को मिलेगा समुचित लाभ : मुख्यमंत्री

70 और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों भी होंगे लाभांवित

राज्य शासन ने जारी किये आदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया जाना सुनिश्चित किया है। इस संबंध में आदेश भी कर दिये गये है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेगी। बुर्जुगों को आर्थिक चिंताओं से मुक्त करते हुए एक स्वस्थ और सम्मान पूर्ण जीवन जीने में सहायता मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय के बंधन से मुक्त करते हुए स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी है। 29 अक्टूबर 2024 को योजना का शुभारम्भ हो चुका है। योजना के लिये पात्रता का निर्धारण केवल आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर किया जाएगा। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड एवं समग्र फैमिली आईडी की आवश्यकता होगी। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना में एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जा रहा है।

जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के है और जिनके परिवार पहले से ही योजना के तहत कवर हैं, उन्हें अपने लिए अतिरिक्त 5 लाख रूपये तक की वार्षिक टॉप-अप कवरेज मिलेगी, जिसे वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों (जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं) के साथ साझा नहीं करेंगे।

योजना में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रूपये तक की वार्षिक कवरेज मिलेगा। जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के है और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS), आयुष्मान सेंट्रल आर्ल्ड पुलिस फोर्स (CAPF) जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे है, वे अपनी मौजूदा योजना या इस योजना में से किसी एक को चुन सकते हैं, योजना चयन करने का विकल्प एक बार ही दिया जाएगा। योजना में स्पष्ट किया गया है कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वे वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के अंतर्गत आते हैं, वे भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया

योजनांन्तर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in/ एवं आयुष्मान ऐप https//play.google.com/store /apps/details?id=com. beneficiaryapp के माध्यम से किया जायेगा। वरिष्ठ से किया जायेगा। वरिष्ठ नागरिक स्वयं भी अपना पंजीकरण वेब पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in/ https://play.google. अथवा आयुष्मान ऐप com/store/apps/details?id=com. beneficiaryapp के माध्यम से कर सकते हैं। उपलब्ध संबंद्ध अस्पताल एवं प्रोसीजर राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के प्राथमिकता से शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करने के निर्देश दिये है। वर्तमान में कुल 1.048 अस्पताल सम्बद्ध हैं एवं कुल 1,952 प्रकार के प्रोसीजर विभिन्न विशेषताओं के अंतर्गत उपचार के लिए उपलब्ध है।

जन-कल्याण के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीं मध्यप्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश की स्वर्णिम यात्रा में सरकार, हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान, किसान की खुशहाली, नारी का सम्मान और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य, यही हमारे प्रयासों का मूल उद्देश्य है। जन-कल्याण की दिशा में हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। मध्यप्रदेश जन-कल्याण के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों के स्थापना दिवस की मंगलकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दीपोत्सव के साथ ही राज्योत्सव भी मनाया जा रहा है, यह अत्यंत आनंद और गौरवशाली पल है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है उसी प्रकार मध्यप्रदेश ने भी अपनी विशेष पहचान बनायी है। युवाओं के लिए आईटी से लेकर इंडस्ट्री तक लघु उद्योग से लेकर बड़े उद्योगों तक, खेती किसानी से लेकर हर्टीकल्चर तक योजनाएं क्रियान्वित की।

स्व-सहायता समूह ने बदली मंजूलता की ज़िन्दगी

जैविक खेती से बढ़ाई आय

भोपाल : मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को स्व-सहायता समूह से जोड़कर उनकी क्षमतावृद्धि कर रहा है। मिशन में महिलाओं को आर्थिक मदद देकर आयमूलक गतिविधियों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में कटनी जिले के ग्राम बण्डाट की मंजूलता हल्दकार भी हैं, जो आज समूह से जुडकर खुशहाल रूप में जीवन यापन कर रही है।

मंजूलता कहती हैं कि वे स्वयं सहायता समूह से जुड़ने पूर्व मजदूरी करके जीवन यापन करती थी। आय का सशक्त साधन न होनें के कारण, यदि उन्हें अचानक किसी कार्य के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती थी, तो उसकी व्यवस्था करनें में काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। यदि कहीं से पैसे ब्याज पर मिलते भी थे तो उसकी ब्याज दर ज्यादा होने के कारण उसे चुका पाना संभव नहीं था।

स्व-सहायता समूह से जुड़ने के फायदों को समझकर मंजूलता ने भी अपने आर्थिक स्तर की 14 महिलाओं को जोडकर "जागृति स्व-सहायता समूह" बनाया। समूह की सदस्य बनी सभी महिलाओं ने प्रत्येक सप्ताह 10 रूपये से बचत करना प्रारंभ किया। प्रथम ग्रेडिंग के रूप में प्राप्त 14 हजार रुपये एवं उसके पश्चात् समूह को सीआईएफ राशि 50 हजार ग्राम संगठन से प्राप्त हुई। प्राप्त राशि की मदद लेकर मंजूलता ने कृषि कार्य को बढ़ावा दिया। साथ ही उन्होंने मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।

मंजूलता ने खेत में टमाटर, बैगन, मिर्च, लौकी, खीरा, हल्दी और अदरक की व्यावसायिक खेती करना शुरू किया। सब्जी लगाकर उन्होंने अच्छी फसल उगाई जिससे उनके परिवार की आय में वृद्धि होने लगी है। आज मंजूलता आपने साथ ग्राम के अन्य लोगों को भी सब्जी उत्पादन की समझाइश देती हैं।

युवा, नारी, किसान और गरीब को सम्पन्न बनाना ही है लक्ष्य : मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प को पूरा करने की पहल करने वाला म.प्र. पहला राज्य

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिये एक जनवरी से 4 नये मिशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दशकों से उपेक्षा के शिकार रहे समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया है । हमारी सरकार युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के जनवरी -2025 में मिशन मोड में प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य करने जा रही है ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने युवाओं, नारी, किसानों और गरीबों के अभावग्रस्त जीवन के आर्थिक उन्नयन के साथ उनमें आत्म-विश्वास भरने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश सरकार इन वर्गों के आर्थिक विकास के लिये ठोस पहल कर रही है । प्रदेश में एक जनवरी 2025 से 4 मिशन-युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प को पूरा करने की पहल करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवा शक्ति मिशन में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और नेतृत्व के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाने का कार्य किया जायेगा। गरीब कल्याण मिशन में गरीब और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी । नारी सशक्तिकरण मिशन में महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के साथ उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनायेंगे। किसान कल्याण मिशन में किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ कृषि को और अधिक लाभकारी व्यवसाय बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में साढ़े 3 लाख करोड़ से अधिक राशि का लोक कल्याणकारी बजट पारित किया गया। सरकार ने तय किया है कि आने वाले वर्षों में बजट को दोगुना किया जायेगा। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश को सशक्त बनाने के लिये किये जाने वाले कार्यों में जनता की सहभागिता सुनिश्चित रहे ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बनाने में प्रदेश की जनता का विश्वास हमें संबल प्रदान करता है । हमारे साढ़े 8 करोड़ प्रदेशवासी मिलकर विकास की दिशा में जब काम करेंगे, तो विकास के नये आयाम प्रदेश में रचे जायेंगे ।

बहुती माइक्रो इरिगेशन से 30 दिनों में किसानों को पानी उपलब्ध कराएँ : उप मुख्यमंत्री

हनुमना उद्वहन सिंचाई परियोजना का कार्य तत्काल शुरू करें

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में संभाग की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी-मोटी बाधाओं के कारण बहुती माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई शुरू नहीं हो पा रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी बहुती नहर निर्माण के छूटे हुए भाग में तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराएं। निर्माण कार्य के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नर तथा पुलिस महानिरीक्षक आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। लगभग 10 स्थानों में अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य में बाधा डालने के कारण 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सभी निर्माण कार्य 30 दिन में पूरा करके बहुती माइक्रो इरिगेशन से किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमना उद्वहन सिंचाई परियोजना से सीधी, मऊगंज और रीवा जिले के बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। इसके लिए शासन द्वारा चार हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसका मुख्य बांध सीधी जिले में सोन नदी पर बनाया जाएगा। इससे उद्वहन द्वारा पानी मऊगंज और हनुमना में पहुंचाया जाएगा। परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति तथा अन्य सभी अनुशंसाओं के लिए तत्काल आवेदन कर दें। मुख्य वन संरक्षक परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए विभागीय मापदण्डों के अनुसार शीघ्र स्वीकृतियाँ जारी कराएं। उप मुख्यमंत्री ने नईगढ़ी सूक्ष्म दाब सिंचाई परियोजना की नहरों का निर्माण भी शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र के सभी जिलों में विकास को गति देने के लिए ललितपुर - सिंगरौली रेलवे लाइन तथा सिंचाई परियोजनाओं के कार्य समय पर पूरा किया जाना आवश्यक है। रेलवे परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराएं, जिससे 2025 में रीवा रेलवे लाइन से सीधी जिले से जुड़ जाए। बैठक में मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग ने सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी ।

गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं देने सहकारिता विभाग ने जारी किया बायलॉज

सहकार से समृद्धि...

अब पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी भी चलाएगी पैक्स

भोपाल. प्रदेश में अब सहकार से समृद्धि आएगी। दूरस्थ इलाकों में रहने वालों को शहरों जैसी सेवाएं और सुविधाएं मिलेंगी। प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी के आय के नए रास्ते खुलेंगे। वे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सामान्य सुविधा केंद्र, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि खोल सकेंगी। इससे पैक्स समृद्ध होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदलेगी।

सरकार प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों (पैक्स) को बहुउददेश्यीय बनाने जा रही है। ये सोसायटी अपने मूल कामकाज के साथ व्यावसायिक काम भी करेंगी। सहकारिता विभाग ने इसके बायलॉज जारी किए हैं। पैक्स को अब विभाग से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। कुछ जिलों में यह काम शुरू भी हो गया है। उज्जैन और धार जिलों में पैक्स ने पेट्रोल पंप शुरू किया है। वहीं 25 पैक्स जन औषधि केंद्र शुरू कर चुकी है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सहकार से समृद्धि अवधारणा पर काम शुरू किया है। इसी के तहत प्रदेश में काम शुरू हो गया है। अभी प्रदेश में 4536 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं। इन्हें व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ने से ये सोसायटियां और समृद्ध होंगी।

इन व्यावसायिक काम का रास्ता खुला

अभी पैक्स अल्प, मध्य व दीर्घकालिक ऋण, उर्वरक, कीटनाशक, बीज वितरण, अनाज खरीद करती है। अब मछली पालन, डेयरी, पोल्ट्री, कस्टम हायरिंग केंद्र, वेयर हाउसिंग, राशन दुकान, एलपीजी, पेट्रोल-पंप, जनऔषधि केंद्र, बैंक मित्र, बीमा सुविधा, सेवा केंद्र, शॉपिंग कॉम्पलेक्स जैसे 25 तरह के काम कर सकेंगी।

व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बायलॉज जारी किया है। अब पैक्स को अनुमति की जरूरत नहीं है। कोई व्यावसायिक काम कर सकते हैं।

मनोज सरियाम
पंजीयक, सहकारी संस्थाएं

पैसे की व्यवस्था खुद करेंगी प्राथमिक कृषि ऋण

सोसायटी (पैक्स) यदि पेट्रोल पंप, एलपीजी एजेंसी आदि जैसे काम करना चाहती हैं तो उसे विभाग से वित्तीय मदद नहीं मिलेगी। उन्हें इसकी पूंजी की व्यवस्था खुद करनी होगी। सोसायटी की आम सभा में प्रस्ताव पारित कराकर पैक्स ये काम कर सकती हैं। समितियां लोन भी ले सकती हैं।

उज्जैन, धार में सोसायटी ने शुरू किया पेट्रोल पंप

व्यावसायिक काम से मजबूत होगी सोसायटी की माली हालत

यहां ये काम कर रही पैक्स

- झाबुआ में पैक्स बड़े स्तर पर कड़कनाथ मुर्गे का कुक्कुट पालन कर रहा है।
- खरगोन में सोलर पैनल लगा रही।
- खंडवा में किसानों से संपर्क कर बड़े स्तर पर प्याज उत्पादन।
- डिंडोरी में कोदो- कुटकी का व्यावसायिक उत्पादन और खरीदी-बिक्री।
- उज्जैन में जरी- जरदोजी, मुरैना में सरसों तेल उत्पादन।
- गांवों में जन औषधि केंद्र खोल रही।

पंप से ऐसी मजबूती

पेट्रोल पर प्रति लीटर 3.69 रुपए और डीजल पर 2.45 रुपए प्रति लीटर डीलर को कमीशन मिलता है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन में यदि 3000 लीटर पेट्रोल व 3000 लीटर डीजल बिका तो पेट्रोल पर 11 हजार और डीजल पर 7350 रुपए (कुल 18 हजार रुपए) कमीशन मिलेंगे।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी विशेष सुविधा

पेट्रोल पंप खोलने की इच्छुक पैक्स के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी विशेष सुविधा दी है। पैक्स प्रबंधन आउटलेट के लिए संयुक्त श्रेणी-2 (सीसी-2) में आनलाइन पोर्टल से आवेदन होंगे। यह श्रेणी उत्कृष्ट खिलाड़ियों, स्वतंत्रता सेनानियों और पैक्सों के लिए ही तय है। भूमि यदि अपनी नहीं है तो पट्टे पर ली जा सकेगी।

सदगुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,

ई–5/13, प्रथम तल, रविशंकर नगर अरेरा कालोनी, भोपाल

स्थिति–विवरण पत्रक दिनांक 31.03.2024

पूंजी एवं देनदारियां (राशि रूपयें में)

रुपए शेष 31.03.2023	पूंजी एवं देनादारियां	राशि	रुपए शेष 31.03.2024
अ	ब	स	द
	1) पूंजी		
50,000,000.00	**अधिकृत अंशपूजी**		50,000,000.00
	रू.100 प्रतिअंश की दर से 5,00,000 अंश		
	कुल राशि 5,00,00,000.00		
	इनमें से		
15,099,075.00	**1. प्रदत्त अंश पूंजी**		
	रू.25/100 प्रति अंश (व्यक्तिगत)	14,935,600.00	**14,935,600.00**
	2. रक्षित एवं अन्य निधियां		**130,697,725.14**
36,289,390.19	1. रक्षित निधि	38,043,208.19	
14,086,886.08	2. भवन निधि	14,350,849.08	
3,710,731.50	3. लाभांश समतुल्यीकरण निधि	3,735,731.50	
38,473,630.72	4. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण कोष	39,734,191.80	
9,573,185.50	5. पुर्नमूल्यांकन निधि	8,615,866.50	
25,546,209.07	6. अन्य निधियां	26,217,878.07	
127,680,033.06	**(अनुसूचि–1)**	**130,697,725.14**	
-	**3. राज्य भागीदारी/मूल सहायक पूंजी में विनियोग**		-
	4. जमा एवं अन्य खातें		**978,434,969.48**
	अ. सावधि जमा		
584,468,986.41	1. व्यक्तिगत (अनुसूचि–2)	15,191,971.41	
-	2. केन्द्रीय सहकारी बैंक में	-	
95,760,749.00	3. अन्य समितियां (अनुसूचि–3)	122,807,622.00	
680,229,735.41		**737,999,593.41**	
	ब. बचत खाता		
240,833,270.18	1. व्यक्तिगत	201,635,175.01	
-	2. केन्द्रीय सहकारी बैंक में	-	

सम्पत्तियां एवं आस्तियां (राशि रूपयें में)

रुपए शेष 31.03.2023	सम्पत्तियां एवं आस्तियां	राशि	रुपए शेष 31.03.2024
अ	ब	स	द
3,089,652.00	**1). (अ) रोकड**		**3,791,985.00**
	(ब). अन्य अधिकोषों के चालू खातों में जमा राशि		**42,908,885.53**
426,821.18	**1. भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल**	429,001.18	
-	**2. राष्ट्रीयकृत बैंकों में**	-	
3,655,101.78	अ. युको बैंक, हबीबगंज, भोपाल	1,376,695.98	
22,100.00	ब. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, अरेरा हिल्स शाखा	22,100.00	
1,303,153.91	स. आईडीबीआई बैंक, टी.टी.नगर शाखा	1,939,200.18	
25,796,022.79	द. आईडीबीआई बैंक, टी.टी.नगर शाखा (क्लियरिंग खाता)	12,994,268.38	
-	इ. आईडीबीआई बैंक, टी.टी.नगर शाखा (एनएसीएच खाता)	15,000.00	
3,350,000.00	फ. आईडीबीआई बैंक, इन्द्रपुरी शाखा	3,550,000.00	
339,666.80	ज. युनियन बैंक आफ इंडियां, टी.टी. नगर शाखा	2,309,402.44	
34,466,045.28		**22,206,666.98**	
	3. भारतीय स्टेट बैंक एवं उनके सहायक बैंकों में		
565,670.50	अ. भारतीय स्टेट बैंक , टी.टी नगर शाखा	536,521.50	
26,399.51	ब. स्टेट बैंक आफ ट्रावनकौर, अरेरा कालोनी	25,750.51	
15,598,734.00	स. भारतीय स्टेट बैंक् टी.टी. नगर (एटीएम)	15,598,085.00	
3,615,962.57	द. भारतीय स्टेट बैंक टी.टी. नगर (एटीएम ट्रांजेक्शन खाता)	3,675,046.42	
19,806,766.58		**19,835,403.43**	
	4. म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में		
298,246.97	अ. महाराणा प्रताप नगर शाखा	403,352.67	
298,246.97		**403,352.67**	
	5. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में		
9,579.27	अ. टी.टी. नगर शाखा	34,461.27	
-	ब. 1100 क्वार्टर शाखा	-	
9,579.27		**34,461.27**	
	2. अन्य बैंकों में शेष		**2,570,182.37**

रुपए शेष 31.03.2023	पूंजी एवं देनादारियां	राशि	रुपए शेष 31.03.2024
अ	ब	स	द
31,389,697.30	3. अन्य समितियां	11,915,344.54	
272,222,967.48		213,550,519.55	
	स. चालू खाता		
40,906,606.57	1. व्यक्तिगत	26,728,356.55	
-	2. केन्द्रीय सहकारी बैंक में	-	
157,772.72	3. अन्य समितियां	156,499.97	
41,064,379.29		26,884,856.52	
-	द. अभियाचित एवं अल्पावधि अमानतें		-
-	5. आहरण '''	-	-
	6. वसूली योग्य बिल		
---	7. शाखा समायोजन	-	----
271,533,367.89	8. कालातीत ब्याज प्रावधान		326,346,588.89
3,213,862.00	9. देय ब्याज प्रावधान		2,518,945.00
	10. अन्य देयताऐं/देनदारियां		11,729,542.16
172,508.00	1. भुगतान योग्य बिल्स	71,280.00	
1,098,016.00	2. लाभांश देय	991,231.00	
47,479,319.87	3. विविध (अनुसूचि–4)	10,667,031.16	
48,749,843.87		11,729,542.16	
	11. लाभ–हानि खाता	-	3,109,921.41
5,279,266.08	वर्ष का लाभ, लाभ–हानि खातें से लाया गया	3,109,921.41	
5,279,266.08			
1,465,072,530.08	कुल योग		1,467,773,292.08
	14. आकस्मिक देयताऐं		
512,683.00	1. बैंक ग्यारंटी इश्यु		-
4,788,692.00	2. भारतीय रिजर्व बैंक में डीईए फण्ड खातें में शेष राशि		5,115,420.73

वास्ते सदगुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
प्रबंधक	प्रभारी मु.का.अधिकारी	संचालक	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

रुपए शेष 31.03.2023	सम्पत्तियां एवं आस्तियां	राशि	रुपए शेष 31.03.2024
अ	ब	स	द
15,767,753.09	अ) एचडीएफसी बैंक लि., अरेरा कालोनी शाखा भोपाल	1,415,539.73	
214,577.12	ब) आईसीआईसीआई बैंक, एम.पी.नगर शाखा, भोपाल	994,603.12	
104,773.52	स) एक्सिस बैंक, अरेरा कालोनी शाखा भोपाल	160,039.52	
16,087,103.73		2,570,182.37	
-	3. अभियाचित एवं अल्पावधि अमानतें		-
	4.विनियोगं		401,167,438.00
	1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
44,983,300.00	अ. केन्द्रीय सरकार	44,983,300.00	
154,044,192.00	ब. राज्य सरकार	143,994,773.00	
-	2. ट्रेजरी बिल्स	-	
-	3. अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में	-	
100.00	4. सहकारी संस्थाओं के अंश (भोपाल को–आप. बैंक)	100.00	
	5. अन्य निवेश		
10,068,488.00	1. युनियन बैंक आफ इंडिया, मालवीय नगर शाखा (एफडीआर)	-	
-	2. फिनकेयर स्माल फायनेंर्स बैंक (टीडीआर)	20,001,000.00	
45,710,577.00	3. डीसीबी बैंक लि. (टीडीआर)	38,597,349.00	
7,935,172.00	4. एयु स्माल फायनेंस बैंक लि. (टीडीआर)	-	
32,502,668.00	5. उत्कर्ष स्माल फायनेंस बैंक लि. (टीडीआर)	27,500,000.00	
-	6. इक्युटास स्माल फायनेंस बैंक (टीडीआर)	16,000,000.00	
47,481,879.00	7.दा शामराओं विटठल को–आप बैंक (टीडीआर)	34,542,605.00	
2,676,377.00	8.स्टेट बैंक आफ इंडिया, टी टी.नगर शाखा (टीडीआर)	2,676,377.00	
44,156,559.00	9. आईडीएफसी बैंक लि. (टीडीआर)	42,693,882.00	
-	10. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या, (टीडीआर)	2,009,052.00	
11,401,000.00	11. हुडको टैक्स फ्री बाण्ड	1,401,000.00	
10,000,000.00	12. रूरल इलेक्टिफिकेशन कार्पो. लि,	-	
1,510,000.00	13. इंडियन रेल्वे फायनेंस कार्पोरेशन लि.	1,510,000.00	
3,627,000.00	14. नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया	3,627,000.00	
1,703,000.00	15. इंडियन रिनेवल ऐनर्जी डेव्लपमेंट ऐजेंसी लि.	1,703,000.00	
10,000,000.00	16. 8.37 आरइसी 2028 बॉण्ड	10,000,000.00	

सदगुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,

ई–13, प्रथम तल, रविशंकर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल

लाभ–हानि खाता 2023–2024

व्यय (राशि रूपयें में)

राशि 2022–2023	विवरण–व्यय	राशि	राशि 2023–2024
45,881,930.00	1. अमानतों / आहरण पर ब्याज		53,182,994.00
	(53178914.00+4080.00)	53,182,994.00	
	2. कर्मचारी वेतन एवं भत्तें तथा भाविष्य निधि		23,976,914.00
20,444,493.00	अ. वेतन एवं भत्तें	21,502,801.00	
2,321,520.00	ब. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान	2,474,113.00	
22,766,013.00		23,976,914.00	
292,100.00	3. संचालकों की बैठक शुल्क एवं भत्तें		292,200.00
	(60200.00+232000.00)		
	4. किराया, कर, बीमा एवं विद्युत व्यय आदि		2,994,015.86
309,984.00	1. किराया	296,448.00	
147,505.00	2. पानी व्यय	132,510.00	
2,500.00	3. प्रोफेशनल टैक्स	2,500.00	
109,053.00	4. सम्पत्ति कर	152,269.00	
1,267,005.00	5. बीमा प्रीमियम	1,242,943.00	
620,953.00	6. विद्युत व्यय	560,943.00	
110,400.00	7. गत वर्षो के आयकर का भुगतान	-	
306,428.90	8. आईजीएसटी	408,565.12	
-	9. सीजीएसटी	98,533.48	
-	10. एसजीएसटी	99,304.26	
2,873,828.90		2,994,015.86	
121,302.00	05. कानूनी व्यय		193,662.61
	06. डाक–तार एवं दूरभाष		235,807.53
6,585.00	1. डाक–तार	37,987.00	
158,912.26	2. दूरभाष व्यय	197,820.53	
165,497.26		235,807.53	
	07. अंकेक्षण शुल्क		275,462.00
248,200.00	1. संगामी लेखा परीक्षक शुल्क	275,462.00	
40,000.00	2. वीएपीटी लेखा परीक्षक शुल्क	-	
288,200.00		275,462.00	
	08. सम्पत्तियों पर ह्रास एवं मरम्मत		1,526,095.22
211,369.00	1. फर्नीचर एवं फिक्सचर	197,412.97	
85,328.00	2. भूमि एवं भवन	76,796.00	
824,166.20	3. कम्प्युटर	781,233.55	
481.00	4. लायब्रेरी	193.00	
3,008.47	5. वातानुकूलक रखरखाव व्यय	6,502.04	
70,304.57	6. भवन रखरखाव व्यय	-	
10,350.00	7. सीसीटीव्ही रखरखाव व्यय	13,800.00	
367,810.00	8. कम्प्यूटर रखरखाव व्यय	281,560.00	
20,962.00	9. नोट काउंटिंग मशीन रखरखाव व्यय	19,312.00	
80,907.32	10. युपीएस बेटरी रखरखाव व्यय	36,056.66	
12,000.00	11.सिक्युरिटी अलार्म सिस्टम रखरखाव व्यय	16,000.00	
85,720.00	12. लीज रेंट एवं मोडम चार्जेस	97,229.00	

रुपए शेष 31.03.2023	सम्पत्तियां एवं आस्तियां	राशि	रुपए शेष 31.03.2024
अ	ब	स	द
9,928,000.00	17. 8.30 आरइसी 2029 बॉण्ड	9,928,000.00	
437,728,312.00		401,167,438.00	
-	5. राज्य भागीदारी / मूल सहायक पूंजी में विनियोग	-	-
	6. ऋण एवं अग्रिम		658,452,388.15
	अ. अल्पावधि ऋण		
32,351,807.00	1. सावधि जमा की प्रतिभूतियों पर	16,372,411.00	
804,864.30	2. अन्य प्रतिभूतियों पर (व्यक्तिगत ऋण)	332,684.30	
1,101,473.00	3. अन्य उददेश्यों हेतु अल्पावधि ऋण	-	
818,399.00	4. स्वर्णाभूषण पर	634,131.00	
174,775,321.07	5. अधिविकर्ष (व्यक्तिगत)	173,994,656.26	
28,371,342.82	6. नकद साख सीमा	19,966,094.22	
320,577.05	7. नकद साख सहकारी समितियां	320,247.05	
18,905.50	8. बिल्स डिस्कांउटिंग	18,905.50	
238,562,689.74		211,639,129.33	
77,844,792.31	ब. मध्यम अवधि ऋण	71,516,572.47	
330,766,564.38	स. दीर्घ अवधि ऋण	375,296,686.35	
408,611,356.69		446,813,258.82	
	7. प्राप्ति योग्य ब्याज		342,046,601.41
16,088,026.30	1. विनियोजन पर	15,700,012.52	
271,533,367.89	2. ऋण एवं अग्रिम पर (एनपीए)	326,346,588.89	
287,621,394.19		342,046,601.41	
-	8. वसूली योग्य बिल		-
1,765,997.00	9. शाखा समायोजन	-	936,793.53
767,954.20	10. भूमि एवं भवन		691,158.20
	अ. न्यू मार्केट (312398.20 - 31240.00=281158.20)		
	ब. प्रधान कार्यालय (218328.00 - 21833.00=196495.00)		
	स. अरेरा कालोनी (237228.00 - 23723.00=213505.00)		
9,573,185.50	11. सम्पत्तियों का पूर्नमूल्यांकन (भवन)		8,615,866.50
	अ. न्यू मार्केट (3287166.00- 328717.00=2958449.00)		
	ब. अरेरा कालोनी (2289837.20- 228983.00=2060854.20)		
	स. प्रधान कार्यालय (3996182.30-399619.00= 3596563.30)		
	12. फर्नीचर एवं फिक्सचर (अवक्षयण घटाकर)		2,563,887.65

राशि 2022–2023	विवरण–व्यय	राशि	राशि 2023–2024
1,772,406.56		1,526,095.22	
	09. लेखन सामग्री, मुद्रण एवं विज्ञापन		1,195,563.47
631,429.92	1. लेखन सामग्री एवं मुद्रण(450763.87.646450.00–3400.40)	1,093,813.47	
78,260.00	2. विज्ञापन व्यय	101,750.00	
709,689.92		1,195,563.47	
-	10. गैर–बैंककारी सम्पत्यिों के व्यवहार या विक्रय से हुई हानि		-
	11. अन्य व्यय		5,704,637.20
587,534.00	1. दैनिक जमा योजना अभिकर्ताओं को भुगतान कमीशन	508,559.00	
84,122.97	2. अल्प मरम्मत एवं कय (69610.1539666.36)	109,276.51	
142,246.00	3. सफाई एवं स्वच्छता व्यय	149,303.00	
5,097.00	4. समाचार पत्र एवं पत्रिकाऐं	4,241.00	
1,699,415.00	5. ग्रेच्युटी प्रीमियम	1,038,588.00	
10,948.00	6. सरसाई शुल्क	4,000.00	
283,320.38	7. वार्षिक साधारण सभा व्यय	297,286.00	
76,500.00	8. प्रोफेशनल सर्विस चार्जेस	260,076.28	
75,919.00	9.सरकारी प्रतिभूतियों की प्रीमियम का परिशोधन	49,419.00	
93,632.00	10.फोटों कापी व्यय	138,911.00	
468,266.24	11.स्थानीय परिवहन व्यय	549,998.00	
28,900.00	12.मेम्बरशिप एवं डेलीगेशन शुल्क	33,020.00	
334,652.42	13.कर्मचारी मेडीक्लेम पालिसी प्रीमियम	263,908.00	
70,501.61	14.ऋण आसूचना ब्यूरों (सिविल) व्यय	80,933.58	
-	15.कर्मचारी कल्याण व्यय	-	
97,694.00	16.कर्मचारी भविष्य निधि स्थापना व्यय	103,985.00	x
38,098.00	17.कर्मचारी डिपाजिट लिंग इंश्योरेंस में अंशदान	37,710.00	x
2,920.00	18.लीव इंन्केशमेंट लाईफ कव्हर प्रीमियम	3,445.00	
670,637.00	19.सुरक्षा सेवा व्यय	670,817.00	
119,395.28	20. फर्नीचर/फिक्सचर के विक्रय पर हानि	15,793.36	
56,626.00	21.ग्रेच्युटी लाईफ कव्हर प्रीमियम	56,679.00	
13,500.00	22. वेवसाईट डेवलपमेंट व्यय	13,500.00	
-	23.लीव इंन्केशमेंट एक्चुरीज	157,075.00	
15,000.00	24.मोबाईल बैंकिग सेवा व्यय	16,500.00	
3,540.00	25. कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	-	
131,184.00	26. शैक्षणिक पुरूस्कार वितरण व्यय	172,685.00	
-	27.समाशोधन ग्रह व्यय	-	
36,205.30	28. नकद हेंडलिंग व्यय	32,640.00	
181,000.00	29. एटीएम व्यय	240,000.00	
70,179.81	30. एनपीसीआई एटीएम व्यवहार व्यय	51,255.33	
2,253.00	31.कर्मचारी टीए एवं डीए	3,930.00	
250,225.00	32.चुनाव व्यय	641,103.14	
11,600.00	33. कर्मचारी/भृत्यों की वर्दी	-	
23,004.00	34. नगर निगम लायसेंस शुल्क	-	
5,684,116.01		5,704,637.20	
	12. रक्षित एवं अन्य निधियां		109,604.00
175,000.00	1. स्पेशल रिजर्व	109,604.00	
-	2. अशोध्य एवं डूबंत ऋण कोष	-	
175,000.00		109,604.00	
	13. प्रावधान		1,122,241.00
87,895.00	1. सहकारी संघ चंदा	63,497.00	

रुपए शेष 31.03.2023	सम्पत्तियां एवं आस्तियां	राशि	रुपए शेष 31.03.2024
अ	ब	स	द
1,763,138.17	अ. फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,797,043.98	-
	(+250512.14-92848.84 +73208.51-196966.00)		
964,860.55	ब. कम्प्यूटर/इन्कोडर	766,843.67	-
2,727,998.72	(+583216.67-104000.00 +104000.00-781233.55)	2,563,887.65	
	13. अन्य सम्पत्तियां		4,028,105.74
3,100.00	1. भवन प्रतिभूति जमा (भेल)	3,100.00	
82,479.00	2. दूरभाष एवं विद्युत प्रतिभूति	82,479.00	
321.00	3. पुस्तकालय (321.00–193.00)	128.00	
932,910.40	4. विविध अग्रिम खाता	1,165,930.40	
12,500.00	5. भेल में प्रतिभूति जमा (विद्युत)	12,500.00	
10,000.00	6. जल हेतु प्रतिभूति जमा	10,000.00	
593,845.63	7. लेखन सामग्री स्टाक	371,060.34	
62,227.00	8. निवेशों पर टीडीएस कटोत्रा	45,500.00	
1,667,760.00	9. अग्रिम आयकर	2,146,178.00	
4,000.00	10.भू–स्वामी को प्रतिभूति जमा	4,000.00	
154,906.00	11. पूर्वदत्त व्यय	181,852.00	
5,378.00	12. चांदी के सिक्कें	5,378.00	
3,529,427.03		4,028,105.74	
1,465,072,530.08	योग		1,467,773,292.08
-	14. आकस्मिक आस्तियां		
512,683.00	1. बैंक ग्यारंटी इश्यु		-

वास्ते सदगुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
प्रबंधक	प्रभारी मु.का.अधिकारी	संचालक	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

राशि 2022–2023	विवरण–व्यय	राशि	राशि 2023–2024
43,842.00	2. आस्थगित कर	27,489.00	
122,650.00	3. वेद्यानिक अंकेक्षण शुल्क	146,509.00	
15,960.00	4. बोनस देय	8,746.00	
300,000.00	5. मानक सम्पत्तियों के प्रति आक. प्रावधान	-	
-	6. एटीएम ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज वेक हेतु प्रावधान	-	
1,266,000.00	7. आयकर हेतु प्रावधान	876,000.00	
1,836,347.00		**1,122,241.00**	
5,279,266.08	**14. शुद्ध लाभ 2023–2024**		**3,109,921.41**
87,845,696.73	**कुल योग**		**93,919,118.30**

सदगुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,
ई–13, प्रथम तल, रविशंकर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल

लाभ–हानि खाता 2023–2024

आय			(राशि रूपयें में)
राशि 2022–2023	विवरण–आय	राशि	राशि 2023–2024
	1. ब्याज एवं मितिकाटा		**91,332,347.45**
51,006,866.20	1. ऋण एवं अग्रिम पर	59,475,461.36	
32,918,663.28	2. विनियोजन पर	31,851,546.09	
58,358.00	3. अन्य	5,340.00	
83,983,887.48		**91,332,347.45**	
49,497.64	**2. कमीशन, विनिमय एवं दलाली**		**53,827.04**
-	**3. साहियकी और संदान**		-
42,663.59	**4. गैर बैंककारी सम्पत्तियों से आय तथा ऐसी सम्पत्तियों के विकय या उनमें किये गये व्यवहार में हुआ लाभ**		**26,100.00**
	5. अन्य प्राप्तियां		**2,506,843.81**
849,500.00	1.. लाकर किराया	827,300.00	
1,336.00	2. अंश हस्तांतरण शुल्क	982.00	
794,942.00	3. प्रोसेसिंग फीस	810,643.00	
325.00	4. नाममात्र सदस्यता शुल्क	225.00	
926,780.07	5. अन्य आय (1413383.10–969243.13)	444,139.97	
76,400.00	6. ऋण आसूचना ब्यूरों (सिविल) फीस	89,150.00	
33,987.00	7. सरसाई फीस	17,550.00	
	8. निधियों से हस्तांतरण (आयकर अदा किया गया है)		
3,540.00	अ. कर्मचारी प्रशिक्षण निधि	-	
131,184.00	ब. शैक्षणिक पुरूस्कार निधि	-	
884,156.00	9. आयकर रिफंड	275,885.00	
46,729.95	10. एटीएम कमीशन (एसबीआई)	545.84	
20,768.00	11. दैनिक जमा योजना खातों पर प्राप्त दंड	28,460.00	
-	12. बीमा से प्राप्त आय	11,963.00	
3,769,648.02		**2,506,843.81**	
-	**6. हानि (यदि कोई हो तो)**		-
87,845,696.73	**कुल योग**		**93,919,118.30**

वास्ते सदगुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

हस्ता / –	हस्ता / –	हस्ता / –	हस्ता / –	हस्ता / –
प्रबंधक	प्रभारी मु.का.अधिकारी	संचालक	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

AGRAWAL KANHERE ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

F-2, ASHIRWAD COMPLEX,
162, ZONE-I, M.P. NAGAR, Bhopal – 11
Tel. : (0755) 2761432, 9827270164
9425007353
E-mail : ashok.ca32@gmail.com

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

मै निम्न हस्ताक्षर कर्ता अंकेक्षण विवरण प्रमाणित करता हूँ कि मेरी फर्म के अंकेक्षण अधिकारी, निरीक्षण एवं आडिटर ने सदगुरु नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल (जिसमे 3 शाखाएँ सम्मिलित है) का वर्ष 2023-24 का अंकेक्षण मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम एवं पंजीयक सहकारी समिति म. प्र. भोपाल के द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया है। बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र/ लाइसेंस बैंक में उपलब्ध है।

मेरे द्वारा सदगुरु नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का दिनांक 31/03/2024 तक की स्थिति का विवरण पत्रक तथा लाभ हानि पत्रक, जो उस दिनांक से समाप्त होने वाले लेखाओं से संबंधित है, का परिक्षण प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं द्वारा भेजे गए प्रमाणित लेखाओं के आधार पर किया गया है जो कि इन पत्रकों में सम्मिलित हैं।

अत: मेरे मत के अंकेक्षण रिपोर्टमें विस्तृत टिप्पणियाँ एवं आक्षेपों को छोड़कर, मै सूचित करता हूँ कि :-

1. बैंक का व्यवसाय आमतौर पर विधिवत उपनियमों एवं नियमों के अंतर्गत तथा पंजीयक सहकारी समिति भोपाल के प्रशासनिक निर्देशों के एवं बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम की आवश्यकताओं के अनूरूप किया गया है।
2. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक परिपूर्ण तथा.ठीक है। आवश्यक सभी जानकारियाँ जो कि बैंक के व्यवहार एवं स्थिति को दर्शाते हैं उनका समावेश इन पत्रकों में हैं। मुझे जो जानकारी बैंक कि स्थिति के सम्बन्ध में बताई गयी है तथा जो खातों में दर्शाई गयी है उनका समावेश इन पत्रकों में है। आपत्तियाँ ऑडिट नोट में बताई गई है।
3. आवशक्तानुसार समस्त जानकारी मेरे संतोष होने तक बैंक द्वारा मुझे उपलब्ध करायी गई है।
4. बैंक का समस्त व्यवहार, व्यवसाय निर्धारित कार्य सीमा के अंतर्गत किया गया है।
5. अंकेक्षण हेतु जो पत्रक बुलाये गए सभी पूर्ण एवं पर्याप्त है।
6. लाभ हानि पत्रक शेष लाभ का सही चित्रण करता है।
7. बैंक की स्थिति विवरण पत्रक एवं लाभ हानि पत्रक नियमों के अनूरूप रखे गए है।
8. मेरे मत से बैंक की समस्त लेखा पुस्तिकाएं आवश्यकता के अनूरूप रखी गयी है।

अत: मै अधिकोष को पंजीयक, सहकारी संस्थाए, मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित निर्देशों में दी गई कसौटी एवं दिशा निर्देशों एवं तथ्यों के आधार पर बैंक को **"अ"** वर्ग में वर्गीकृत करता हैं।

FOR AGRAWAL KANHERE ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 008165C

AGRAWAL KANHERE ASSOCIATES BHOPAL FRN 008165C CHARTERED ACCOUNTANTS

CA ASHOK KUMAR AGRAWAL
(PARTNER)
M.NO. – 075857

स्थान : भोपाल
दिनांक :28.06.2024
UDIN : 24075857BKAABZ6256

श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

वित्तीय पत्रक 31.03.2024

(In the THIRD SCHEDULE as per Section 29 of B.R.Act,1949)

दिनांक			पूंजी एवं देनदारियां	राशि	राशि	(Amount in Rs.) राशि
31.03.2023			विवरण			31.03.2024
	1		अंश पूंजी			7243000.00
	(i)		**अधिकृत अंश पूजी**	5000000.00		
			500000 प्रत्येक किं लिये 100/–			
	(ii)		**प्रदत्त अंश पूंजी**			
			72430 प्रत्येक के लियें 100/–		7243000.00	
6504600.00	(a)		व्यक्गित अंश पूजी	7243000.00		
	(b)		स्टेट का –आपरेटिव अंश			
	(C)		स्टेट गर्वमेंट अंश			
	(d)		अन्य अंश			
	2		**रक्षित एवं अन्य निधियां**			72203370.9
47822314.90	(i)		रक्षित निधियां	50731290.90	68019870.9	
16338580.00	(ii)		भवन निधियां	17288580.00		
	(iii)		अन्य निधियां		4183500.00	
312000.00		(a)	मानक अस्तियों पर प्रावधान	400000.00		
1679500.00		(b)	विनियोग ह्रास निधि आई. डी. आर.	1679500.00		
0.00		(c)	इन्वेस्टमेंट डिप्रेशियेशन रिजर्व आई. एफ.आर.	0.00		
104000.00		(d)	वेड एंण्ड डाउटफुल रिजर्व ए.पी.ए.	104000.00		
2000000.00		(e)	आकस्किम देयतायों पर प्रावधान	2000000.00		
0.00		(f)	अन्य रिजर्व / प्रावधान	0.00		
	3		**PRINCIPAL/SUBSIDIARY STATE**			
0.00			**पार्टनरशिप अकाउंटस**		0	0.00
	4		**अन्य बैंको में जमा राशि/ कुल डिपोजिट**			227469478.66
8917979.94	(i)	(A)	**बचत जमा खातें**		13547301.23	
		(a)	व्यक्तिगत बचत जमा खातें	11210645.12		
		(b)	सोसायटी के बचत जमा खातें	2336656.11		
26606588.50		(B)	**चालू जमा खातें**		27306561.43	
		(a)	व्यक्तिगत चालू जमा खातें	27073138.13		
		(b)	सोसायटी के चालू जमा खातें	233423.30		
26889.00		(C)	**आवर्ती जमा खातें**		55476.00	
		(a)	व्यक्तिगत आवर्ती जमा खातें	55476.00		
		(b)	सोसायटी के आवर्ती जमा खातें	0.00		
1000.00		(D)	**दैनिक जमा खातें**		1000.00	
		(a)	व्यक्तिगत दैनिक जमा खातें	1000.00		
		(b)	सोसायटी के दैनिक जमा खातें	0.00		
2597361.00	(ii)	(E)	**सावधी जमा खातें**		3067196.00	
		(a)	व्यक्तिगत सावधी जमा खातें	1057196.00		
		(b)	सोसायटी के सावधी जमा खातें	0.00		
		(c)	सीनियर सोसायटी सावधी जमा खातें	0.00		
		(d)	मासिक सावधी सावधी जमा खातें	2010000.00		

दिनांक				PROPERTY AND ASSETS	राशि	राशि	राशि
31.03.2023				संपत्तियों एवं लेनदारियां			31.03.2024
2370912.00	1			हस्त रोकड / कैश		2397395.00	2397395.00
	2			**अन्य बैंक के चालू खातों में जमा राशि**			
		(A)		**चालू खातों में जमा राशि**		96346031.09	96346031.09
3188686.62			(i)	भारतीय रिजर्व बैंक	89138686.62		
2012002.17			(ii)	भोपाल का आपरेटिव बैंक	59960.17		
24795.03			(iii)	एम.पी.आर.एस.बी. बैंक मुख्य शाखा मे	24795.03		
10000.00			(iv)	एम.पी.आर.एस.बी. बैंक अपेक्स शाखा मे	10000.00		
472246.30			(v)	आई. डी. बी. आई. बैंक टी टी नंगर	13228.52		
537188.12			(vi)	यूनियन बैंक आफ इंडिया	919188.12		
8636461.88			(vii)	येस बैंक लिमिटेड क्लीयरिंग खाता	1647915.41		
14591688.87			(viii)	येस बैंक लिमिटेड आर.टी.जी.एस.खाता	493388.89		
2000000.00			(ix)	येस बैंक लिमिटेड आई.एम.पी.एस.खाता	2038868.33		
0.00			(x)	येस बैंक लिमिटेड ए.टी.एम.खाता	2000000.00		
17461.40			(x)	एच. डी. एफ. सी. बैंक	0.00		
42721.26			(x)	दि श्यामराव विठठल का आपरेटिव बैंक	0.00		
0.00		(B)		**बचत खातों में जमा राशि**		0.00	0.00
		(C)		**सावधी जमा खातों में जमा राशि**		25322747.00	25322747.00
799191.00			(i)	एम.पी.आर.एस.बी. बैंक मुख्य शाखा मे	930417.00		
0.00			(ii)	भोपाल का आपरेटिव बैंक	0.00		
0.00			(iii)	आई. डी. बी. आई. बैंक टी टी नंगर	0.00		
3000000.00			(iv)	एयू स्माल फायनेंश बैंक	6000000.00		
4000000.00			(v)	जना स्माल फायनेंश बैंक	7000000.00		
3047787.00			(vi)	ईसाफ स्माल फायनेंश बैंक	6292330.00		
2500000.00			(vii)	आई. डी. एफ. सी. स्माल फायनेंश बैंक	0.00		
0.00			(viii)	फिनकेयर स्माल फायनेंश बैंक	5100000.00		
	3			**MONEY AT CALL AND SHORT**		57323700.00	57323700.00
				NOTICE INVESTMENTS :			
49944850.00	(i)			सरकारी प्रतिभूति में निवेश बुक वैल्यू	47323600.00		
5000000.00	(ii)			अन्य निवेश / म्युचल फंड/ शेयर्स	10000000.00		
	(iii)			सहकारी बैंको में जमा अंश पूर्जी			
100.00				सहकारी नियम पांच के तहत	100.00		
	(v)			अन्य निवेश			
0.00		(a)		शोर्ट टर्म निवेश	0.00		
	4			**अन्य जगह निवेश**		0.00	0.00
0.00				**अन्य संस्था निवेश**	0.00		
	5			**ऋण एवं अग्रिम**			125650891.28
		(i)		ऋण एवं अग्रिम अल्पकालीन ऋण		31103500.69	
18548310.00				सावधी जमा राशि के विरूद्व ऋण	4579306.73		
9639641.30				ओवरड्राफट ऋण संप्पती के विरूद्व ऋण	15498383.88		
850290.42				एल.आई.सी. के विरूद्व सी.सी. ऋण	4744340.92		
4067072.50				मोर्टगेज सी. सी. ऋण	6281469.16		

96543803.00	(F)	डबल सावधी जमा खातें		183491944.00	
	(a)	व्यक्तिगत डबल सावधी जमा खातें	178826422.00		
	(b)	सोसायटी डबल के सावधी जमा खातें	147562.00		
	(c)	सीनियर सोसायटी डबल सावधी जमा खातें	4517960.00		
0.00	(G)	परिपक्व सावधी जमा खातें		0.00	
	(a)	व्यक्तिगत डबल सावधी जमा खातें	0.00		
	(b)	सोसायटी डबल के सावधी जमा खातें	0.00		
	(c)	सीनियर सोसायटी डबल सावधी जमा खातें	0.00		
	5	मनी काल / शोर्ट टर्म डिपोजिट		0.00	
	(a)	अन्य सोसायटीयों से जमा राशि	0.00		
	6	अन्य बैकों से उधार / ऋण		0.00	
	(a)	भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण	0.00		
	(b)	अन्य बैंक से प्राप्त ऋण	0.00		
0.00	7	वसूली योग्य बिल		0.00	
	(a)	जावक बिल संग्रह कान्टा इन्टी	0.00		
	(b)	बैंक गारटी इश्यू कान्टा इन्टी	0.00		
0.00	8	शाखा समायोजन की इन्टी	0.00	0.00	
	9	अतिदेय ब्याज ओवर डयू रिजर्व	0.00	0.00	
64343.02	10	अमानतों पर देय ब्याज की राशि		65187.02	65187.02
	(a)	सावधी जमा राशि पर देय ब्याज	62903.02		
	(b)	आवर्ती जमा राशि पर देय ब्याज	2284.00		
370091.15	11	अन्य दायित्वों की इन्टी		811908.39	811908.39
	(a)	अकेंक्षण शुल्क की देय राशि	57500.00		
	(b)	बैंक द्वारा पेय आर्डर इश्यू	387194.99		
	(c)	ठी डी एस. पेयवल	357470.00		
	(d)	एस.जी.एस.टी. पेयवल	4783.95		
	(e)	सी.जी.एस.टी. पेयवल	4783.95		
	(f)	आई.जी.एस.टी. पेयवल	175.50		
	12	बैंक लाभ हानि			
3858596.00	(a)	बैंक का शुद्व लाभ	2724774.75	2724774.75	2724774.75
	13	बैंक में जमा बैंलेश इन कॅडिड खातें में		0.00	0.00
	(a)	लोन खातों में केडिड बैलेश	0.00		
	(a)	बैंक गारटी इश्यू कान्टा इन्टी	0.00		
4293030.17		कुल राशि			**3601870.16**
		बैंक की आफ बैलेश शीट की इन्टीयां			
4102086.63	1	भारतीय रिजर्व बैंक के डीफ अकांउट में जमा राशि		4017395.41	4017395.41

For **Sri Satya Sai Nagrik Sahakari Bank Mydt., Bhopal**

Chairperson Director Director Chief Executive Incharge Auditor

	(ii)	ऋण एवं अग्रिम मध्यकालीन		2974237.00	
180123.57		कन्जूमर डयूरेवल ऋण	218637.00		
1053251.00		पर्सनल ऋण	1441838.00		
0.00		प्रोफेशनल एंण्ड सेल्फ इम्पलाईड ऋण	351526.00		
4295164.00		व्यवसाय के लिये ऋण	962236.00		
	(iii)	ऋण एवं अग्रिम दीर्घकालीन ऋण		91573153.59	
29942127.52		भवन / ग्रंह ऋण	34671726.52		
7877934.07		वाहन ऋण	25384216.07		
33702868.00		मोर्टगेज टर्म ऋण	31517211.00		
	6	प्राप्ति योग्य ब्याज राशि		1909466.00	1909466.00
1013792.00	(i)	प्राप्ति योग्य ब्याज राशि अमानतों पर	1909466.00		
0.00	(ii)	प्राप्ति योग्य ब्याज राशि लोन पर	0.00		
	7	वसूली योग्य बिल संग्रह कान्टा			
0.00	(i)	आउटवर्ड विल कलेक्शन	0.00	0.00	0.00
0.00	8	शाखा समायोजन	0.00	0.00	0.00
	9	फर्नीचर एंड फिक्चर		229333.14	229333.14
62853.99	(i)	फर्नीचर एवं फिक्चर	221938.88		
8699.13	(ii)	ऐअर कडीशन	7394.26		
0.00	(iii)	कम्प्युटर एडं हार्डवेयर	0.00		
	10	अन्य लेनदारियां		1338156.21	1338156.21
6279.43	(i)	एडंवाश इन टेलिफोन	6279.43		
20841.00	(ii)	एडंवाश इन बिजली विभाग	20841.00		
1600.00	(iii)	एडंवाश इन गैंस कनेक्शन	1600.00		
7016.00	(iv)	एडंवाश इन पुस्तकालय	7016.00		
37188.00	(v)	स्टैशनरी एंड स्टैंप	144008.00		
5618.00	(vi)	उंचंत खाता / सस्पैंश खाता	0.00		
12890.00	(vii)	अधेसिव स्टेप खाता	20005.00		
5608.31	(viii)	जी.एस.टी. पेड	8507.45		
46503.46	(ix)	एस.जी.एस.टी. पेड	6525.93		
46503.58	(x)	सी.जी.एस.टी. पेड	6531.57		
119379.58	(xi)	आई.जी.एस.टी. पेड	116841.83		
0.00	(xii)	अग्रिम आयकर जमा राशि	1000000.00		
0.00	11	नांन – बैंगिक एसेट		0.00	0.00
	12	अन्य दायित्व / आकस्मिक देयतायें		0.00	0.00
0.00	(i)	अन्य दायित्व	0.00		
	(ii)	बैंक गारंटी इश्यू	0.00		
0.00	13	– हानि की राशि	0.00	0.00	0.00
111551554.86		कुल योग			**129127846.63**
		आफ बैंलेश शीट आईटम			
4044131.82		भारतीय रिजर्व बैंक डीफ अकाउंट में जमा राशि		4017395.41	4017395.41

For **Sri Satya Sai Nagrik Sahakari Bank Mydt., Bhopal**

Chairperson Director Director Chief Executive Incharge Auditor

श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

लाभ – हानि पत्रक 01.04.2023 से 31.03.2024

भारतीय रिजर्व बैंक के सेक्शन 29 बैंकिग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नियमानुसार

दिनांक 31.03.2023		विवरण व्यय की मदें	नामें राशि	जमा राशि	दिनांक 31.03.2024	राशि
5272045.00		सावधी जमा पर भुगतान ब्याज				8665518.00
	5272045.00	सावधी जमा पर ब्याज का भुगतान	8665518.00	0.00	8665518.00	
		वेतन एवं भत्तें				
1827803.00	1827803.00	बैंक अधिकारियों का वेतन	2566274.00	1194.00	2565080.00	2565080.00
	0.00	बैंक संचालकों का वेतन एवं भत्ता	0.00	0.00		
3468954.34		बैंक के मुख्य व्यय				2674073.76
	762000.00	बैंक भवन का किराया	838200.00	0.00	838200.00	
	197487.50	बैंक संप्पती का बीमा	273277.98	21510.00	251767.98	
	115281.65	बैंक बिजली व्यय की राशि	126217.00	0.00	126217.00	
	1927824.00	आयकर के व्यय की राशि	560000.00	0.00	560000.00	
	18270.00	कानूनी व्यय	74542.00	30000.00	44542.00	
	126210.00	अंकेक्षण शुल्क	94540.00	0.00	94540.00	
	29054.53	ह्रास संप्पती पर/ अवक्षयण व्यय	73152.22	0.00	73152.22	
	292826.66	एडमिनिस्टेटिव व्यय	589957.00	5000.00	584957.00	
	0.00	ए.जी.एम. व्यय	100697.56	0.00	100697.56	
539322.52		बैंक के अन्य व्यय				1201449.65
	72177.80	टेलिफोन एण्ड टंककाल	92018.59	0.00	92018.59	
	30646.00	डाक एवं तार व्यय	25130.00	0.00	25130.00	
	86094.00	प्रिटिंग एवं मुद्रण व्यय	135253.72	0.00	135253.72	
	18000.00	विज्ञापन व्यय	390850.00	10000.00	380850.00	
	53190.00	सुंरक्षा व्यय	60970.00	0.00	60970.00	
	15550.00	पानी पर व्यय	23262.00	0.00	23262.00	
	45725.00	किराया पर व्यय	67005.00	0.00	67005.00	
	29860.84	बैंक चार्जेस पर व्यय	23649.40	0.00	23649.40	
	2800.00	अखवार पर व्यय	4910.00	0.00	4910.00	
	35937.88	सुधार एवं मरम्मत पर व्यय	12504.49	0.00	12504.49	
	149341.00	विविघ व्यय / मिसलेनियस व्यय	254646.45	0.00	254646.45	
	0.00	सरकारी प्रतिभूति पर लॉस	121250.00	0.00	121250.00	
		निधियां एवं प्रावधान				
595500.00	595500.00	प्रोविजन	138000.00		138000.00	138000.00
	0.00	भवन निधि	0.00			
		लाभ – हानि खाता				
3858596.00	3858596.00	वर्ष 2022–23 पर लाभ				
		वर्ष 2023–24 पर लाभ	2724774.75	0.00	2724774.75	2724774.75
15562220.86	**15562220.86**	कुल योग	**18036600.16**	**67704.00**	**17968896.16**	**17968896.16**

For **Sri Satya Sai Nagrik Sahakari Bank Mydt., BHOPAL**

Chairperson Director Director Chief Executive Auditor Incharge

श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

लाभ – हानि पत्रक 01.04.2023 से 31.03.2024

भारतीय रिजर्व बैंक के सेक्शन 29 बैंकिग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नियमानुसार

दिनांक 31.03.2023		विवरण आय की मदें	जमा राशि	नामें राशि	दिनांक 31.03.2024	राशि
15184056.28		अर्जित ब्याज की राशि				17565255.08
	10681271.00	अर्जित ब्याज राशि ऋण एवं अग्रिम खातों पर	10803600.00	0.00	10803600.00	
	980635.28	अर्जित ब्याज राशि बैंक इन्वेस्टमेंट पर	4330422.08	1013792.00	3316630.08	
	3522150.00	अर्जित ब्याज राशि सरकारी प्रतिभूतियों पर	3445025.00	0.00	3445025.00	
14227.14		कमीशन/ एक्सचेंज / बोकेज				424.88
	14227.14	एक्सचेंज एंड कमीशन	424.88	0.00	424.88	
0.00	0.00	Subsidies and Donations	0.00	0.00	0.00	0.00
363937.44		अन्य आय / नान बैंकिग				403216.20
	287457.92	जनरल आय	369683.44	0.00	369683.44	
	19479.52	मिनिमम बैलेश चार्जेस	11750.00	0.00	11750.00	
	57000.00	मिसलेनियस चार्जेस	21782.76	0.00	21782.76	
15562220.86	**15562220.86**	कुल योग	**18982688.16**	**1013792.00**	**17968896.16**	**17968896.16**

For **Sri Satya Sai Nagrik Sahakari Bank Mydt., BHOPAL**

Chairperson Director Director Chief Executive Auditor Incharge

श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

अंकेक्षक प्रमाण पत्र

हम चावला किशोर एण्ड कंपनी अंकेक्षक निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि मैने श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल (पंजीयन कमांक सं.पं./06/99 दिनांक 06/01/99) का वर्ष 2023–24 का अंकेक्षण पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित निर्देशित प्रणाली से एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार पूर्ण किया गया है।

बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र विधिवत सही व नियमानुसार होकर बैंक द्वारा सुरक्षित रखा गया है।

हमने श्री सत्य सांई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष का स्थिति विवरण पत्रक तथा लाभ–हानि पत्रक का परीक्षण संबंधित लेखाओं से किया।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि :–

हमारे मतानुसार बैंक का व्यवहार साधारणतः सही व ईमानदारी से बैंक के उपनियमों, सहकारी विधान की प्रचलित धाराओं, उसके अंतर्गत बनाए गये नियम, पंजीयक द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों एवं बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 की धाराएं ;जोकि सहकारी बैंकों के लिये लागू होती हैद्व के अनुसार हैं, व पाई गई त्रुटियों का उल्लेख अंकेक्षण टीप में है।

बैंक का स्थिति विवरण पत्रक पूर्ण रूप से स्पष्ट है। इसमें सभी आवश्यक जानकारियॉं जो कि बैंक के व्यवहार और स्थिति को दर्शाती है, का समावेश भी किया गया है। मुझे जो जानकारी बैंक स्थिति के संबंध में बतलाई गई तथा जो जानकारी बैंक के लेखा खातों में दर्शाई गई है वह सब इसमें परिलक्षित होती है।

हमें अंकेक्षण के दौरान किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण की जब भी आवश्यकता पड़ी समय–समय पर बैंक से प्राप्त हुई तथा मेरे संतोष के अनुसार हैं।

बैंक के व्यवहार जो भी मेरी जानकारी में आए सभी बैंक की कार्य सीमा में किये गये हैं। बैंक का लाभ हानि पत्रक प्रस्तुत टीप के अधीन पाये गये आक्षेपों के तारतम्य में सही विवरण प्रस्तुत करता है।

हमारे मतानुसार बैंक के स्थिति विवरण पत्रक व लाभ–हानि पत्रक प्रस्तुत टीप में नियमानुसार बनाए गए हैं तथा हिसाब व खाते नियमों, उपनियमों की आवश्यकतानुसार रखे गये हैं। ऐसे सभी रखे गये रजिस्टर व खाते बहियों, जिनके आधार पर पत्रक तैयार किये गये हैं, की सूची बैंक में उपलब्ध है।

अतः मैं बैंक को पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, मध्य प्रदेश द्वारा प्रसारित निर्देशों में दी गई अंकेक्षण वर्गीकरण कसौटी पत्र के मानदण्ड के आधार पर मूल्यांकन करके वर्ष 2023–24 के अंकेक्षण में बैंक को 'अ' वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ।

सनदी लेखापाल

स्थान : भोपाल

दिनांक : 26 जून 2024

मेसर्स चावला किशोर एण्ड कंपनी

सशक्त आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की नींव है स्वस्थ नागरिक : मुख्यमंत्री

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और विस्तृत बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और विस्तृत बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की नींव स्वस्थ नागरिकों से बनती है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक, चाहे वह शहर में हो या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्नत चिकित्सा सेवाओं तक आसानी से पहुंच सके। इसी उद्देश्य से राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे ये केंद्र जिला अस्पतालों के समान उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सभी नागरिकों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्वस्थ नागरिकों से ही आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण संभव है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और हर क्षेत्र में लोग पूरी ऊर्जा से समाज और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार और मैनपॉवर की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के "स्वस्थ भारत सशक्त भारत" के दृष्टिकोण के तहत चिकित्सा शिक्षा का भी तेजी से विस्तार कर रही है। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 17 सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जारी है। हाल ही में सिवनी, नीमच और मंदसौर में नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हुआ है और 8 अन्य मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 12 और मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है, जिससे प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञता को बढावा मिलेगा।

30 हज़ार से अधिक चिकित्सकीय, सहायक चिकित्सकीय पदों पर होगी भर्ती

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (IPHS) के मानकों के अनुरूप राज्य में शीघ्र ही 30 हजार से अधिक चिकित्सकीय और सहायक चिकित्सकीय मैनपॉवर की भर्ती की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाय में और सुधार होगा।

आधुनिक तकनीक और सेवाओं का समावेश

मध्यप्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों में MRI, CT स्कैन, और PET CT जैसी आधुनिक उपकरणों की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 42 प्रकार की एंटी - कैंसर दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे गंभीर मरीजों को समय पर उचित उपचार मिल सके। राज्य के सभी जिला और सिविल अस्पतालों में अब 132 प्रकार की जांच सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 80 प्रकार की जांच की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में 324 हब और 1,610 स्पोक स्थापित किए गए हैं, जहाँ प्रतिदिन 35 हजार से अधिक जांचें जिला स्तर पर और 32 हजार से अधिक जांचें हब और स्पोक पर हो रही हैं। इसी तरह सभी जिला अस्पतालों में अब डायलिसिस, CT स्कैन और डिजिटल एक्स-रे की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश का एमवाय (महाराजा यशवंतराव) अस्पताल इन्दौर देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए उन्नत सीएआर-टी थेरेपी शुरू की गई है। यह सुविधा राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने और उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

मुफ्त दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य के शासकीय अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की उपलब्धता में भी बड़ी वृद्धि की गई है। जिला अस्पतालों में 295 से बढ़ाकर 530 प्रकार की दवाएँ, सिविल अस्पतालों में 448, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 373 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 299 प्रकार की दवाएँ मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

मध्यप्रदेश सरकार मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है। राज्य में विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ (SNCU) और बाल गहन चिकित्सा इकाइयाँ (PICU) स्थापित की गई हैं, ताकि माताओं और नवजात शिशुओं को उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्राप्त हो सके। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों की समय पर पहचान कर आवश्यक चिकित्सकीय सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही सुरक्षित प्रसव के लिए बर्थ वेटिंग रूम का संचालन और किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की सुविधा प्रदान की जा रही है।

आयुष्मान भारत योजना से मिला स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना ने मध्यप्रदेश के नागरिकों को एक मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र प्रदान किया है। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी योजना के तहत लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में अब तक 22 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं और आयुष्मान कार्ड जारी करने में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है । इस योजना के तहत राज्य में 1,048 स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संस्थान सूचीबद्ध हैं, जिनमें 493 सार्वजनिक अस्पताल और 555 निजी अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा 1,952 प्रकार के स्वास्थ्य लाभ पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें कैंसर, हृदय रोग, उच्च जोखिम गर्भावस्था, किडनी की बीमारियाँ और अन्य महंगे उपचार शामिल हैं । यह चिकित्सा सेवा क्षेत्र की क्रांतिकारी योजना है, जिसके माध्यम से आज गरीब वंचित लोग उत्कृष्ट उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधारों और विकासात्मक पहलों का एक नया अध्याय लिखा है। विकसित भारत के विजन में नागरिकों के स्वास्थ्य को आवश्यक माना गया है। पहली बार देश में यह हुआ है कि विकास को मनुष्य के स्वास्थ्य से जोड़ा गया है । "विकसित भारत" के विजन को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर जो कदम उठाए हैं, वे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित कर रहे हैं। पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा आपातकाल में जीवन रक्षक प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और आपातकाल में बहुमूल्य जीवन के संरक्षण हेतु हर नागरिक तक उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। सड़कों और औद्योगिक स्थलों में होने वाले हादसों, प्राकृतिक आपदाओं, हृदय संबंधी समस्याओं और अन्य गंभीर बीमारियों की स्थिति में यह सेवा जीवनरक्षक साबित हो रही है। एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से मरीजों को समय पर उचित चिकित्सा संस्थानों तक पहुँचाया जा रहा है। राज्य के भीतर और बाहर सड़क, औद्योगिक दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों और आयुष्मान कार्डधारकों को निःशुल्क परिवहन की सेवा प्राप्त होगी।

मेडिकल डिवाइस पार्क चिकित्सा क्षेत्र में मध्यप्रदेश को बनायेगा आत्मनिर्भर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में स्थापित हो रहा देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क मध्यप्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इस पार्क के माध्यम से न केवल अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन होगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक कुशल और सुलभ बनाया जा सकेगा। इससे प्रदेश में चिकित्सा उपकरणों की निर्भरता कम होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में भी कमी आएगी। यह मेडिकल डिवाइस पार्क मध्यप्रदेश को एक मेडिकल हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जहां चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन, शोध, और नवाचार के अवसर बढ़ेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जा सकेगा, जो इसे चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश के 69वें स्थापना दिवस पर जलाए दीप और देखी आतिशबाजी

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर रोशनपुरा चौराहे पर दीप प्रज्ज्वलित कर आतिशबाजी कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागरिकों को स्थापना दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर दक्षिण-पश्चिम भोपाल के विधायक श्री भगवान दास सबनानी और अनेक नागरिक उपस्थित थे। रोशनपुरा चौराहे पर मिष्ठान वितरण कर प्रदेश की स्थापना दिवस को उल्लास और आनंद के साथ मनाया गया।

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित जियागाँव में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर द्वारा दिनाँक 30/10/2024 को बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित जियागाँव, तहसील खातेगांव जिला (देवास) में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समिति प्रबंधक श्री हरिओम पवार, सेल्समैन श्री बृजमोहन वर्मा, एवं समस्त सम्माननीय सदस्य एवं कृषक उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला शिक्षा प्रशिक्षक प्रदीप कुमार रैकवार द्वारा सहकारिता की पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया, सहकारिता सिद्धांत समझाए गए एवं सहकारिता की नई नीतियों से अवगत कराया गया। सहकारी समिति के बहुउद्देशीय बनने के लाभों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के समापन पर समिति प्रबंधक द्वारा संस्था की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया एवं आभार व्यक्त किया गया।

71वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2024 (14 से 20 नवम्बर 2024)

Main theme: Role of Cooperatives in building "Viksit Bharat"

मुख्य विषय: "विकसित भारत" के निर्माण में सहकारिताओं की भूमिका

14-11-2024	सहकारिता मंत्रालय की नई पहलों से सहकारिता आंदोलन का सुदृढ़ीकरण।	Strengthening Cooperation Movement through New Initiatives of Ministry of Cooperation.
15-11-2024	सहकारिता में नवाचार, टेक्नोलोजी एवं सुशासन।	Innovation, Technology and Good Governance in Cooperative.
16-11-2024	उद्यमिता, रोजगार और कौशल विकास में सहकारिताओं की भूमिका।	The Role of Cooperatives in Fostering Entrepreneurship, Employment, and Skill Development..
17-11-2024	सहकारी उद्यमों का रूपांतरण।	Transforming Cooperative Enterprises.
18-11-2024	सहकारिताओं के बीच सहकार की भावना का सुदृढ़ीकरण।	Strengthening Cooperation Among Cooperatives
19-11-2024	महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए सहकारिता।	Cooperatives for Women, Youth, and Weaker Sections,
20-11-2024	सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहकारिता की भूमिका एवं एक बेहतर विश्व का निर्माण।	Role of Cooperatives in Achieving SDGs and way forward for Better World

सिविल सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का अनुसमर्थन

254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रो की स्थापना की स्वीकृति

नवीन मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापकों की भर्ती की आयु सीमा की गई 50 वर्ष

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13.09.2023 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 3 अक्टूबर, 2023 का अनुसमर्थन किया गया। इस निर्णय से महिला आरक्षण 35 प्रतिशत होगा।

254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रो की स्थापना की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2024-25 में (खरीफ एवं रबी सीजन में) 254 नए उर्वरक विक्रय केन्द्र स्थापित करने पर मानव संसाधन पर होने वाली संभावित व्यय की वास्तविक राशि अधिकतम 1 करोड़ 72 लाख रूपये की सीमा तक की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।

660 मेगावॉट क्षमता की नवीन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना के लिए फिजिबिलिटी स्टडी

मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 (410) मेगावाट) एवं विद्युत गृह क्रमांक 3 (420 मेगावाट) में स्थापित इकाइयों को रिटायर (डी - कमीशन) किये जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 में स्थित इकाई क्रमांक 6 एवं 7 (200 + 210 मेगावॉट) एवं विद्युत गृह क्रमांक 3 में स्थित इकाई क्रमांक 8 एवं 9 (2 x 210 मेगावॉट) द्वारा रूपांकित आयु पूर्ण कर ली गई हैं। ये इकाइयों लगभग 39 से 44 वर्षों से संचालन में हैं। इन इकाइयों की स्थिति एवं प्रदर्शन के दृष्टिगत म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा इन इकाइयों को रिटायर (डी- कमीशन) किये जाने की चाही गई अनुमति मंत्रि-परिषद ने प्रदान की है।

निर्णय अनुसार सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 2 एवं 3 में स्थित इकाई क्रमांक 6 से 9 (कुल क्षमता 830 मेगावॉट) को 30 सितम्बर, 2024 से रिटायर (डी - कमीशन) किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। रिटायर (डी–कमीशन) इकाइयों का डिस्पोजल ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जायेगा। इन इकाईयों के स्थान पर 660 मेगावॉट क्षमता की नवीन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई (इकाई क्रमांक 13) की स्थापना के लिए म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी करायी जायेगी।

आयु-सीमा में वृद्धि का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सह चिकित्सीय पाठ्क्रमों की मान्यता

म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 को निरस्त करने की कार्यवाही को लंबित रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं आगामी सत्रों की मान्यता प्रक्रिया, साथ ही सह - चिकित्सीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर्मियों के पंजीयन एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन पूर्व में प्रचलित म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 अंतर्गत् प्रचलित नियमों के अनुसार, पूर्व में विघटित मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद को पुनर्जीवित करते हुए, पूर्ण किये जाने तथा राष्ट्रीय आयोग द्वारा अधिनियम अंतर्गत प्रावधानित विनियम (रेगुलेशन) जारी होने के उपरांत विनियम के अनुरूप मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेल्थ केयर कौंसिल द्वारा स्वशासी बोर्ड्स के गठन होने पर पुनर्जीवित मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं मंत्रि-परिषद् के पूर्व में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 को निरस्त करने की कार्यवाही की जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा दी गई। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की गई केन्द्र प्रवर्तित परियोजना "Strength-ening of Cooperatives through IT Interventions" अंतर्गत प्रदेश के पंजीयक सहकारी संस्थाएँ कार्यालय के कम्प्यूटराईजेशन के लिए परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी। इस पर 3 करोड़ 68 लाख रूपये व्यय आयेगा, जिसकी 60 प्रतिशत राशि केन्द्र एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी।

तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण सम्पन्न

जबलपुर। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली एंव मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर के सयुंक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण दिनांक 7 से 9 नवंबर 2024 तक मुर्गीपालन सहकारी समिति समनापुर कुरेली डिण्डौरी के सभागार में आयोजित किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त सहकारी संस्था डिण्डौरी की गरिमामयी उपस्थित में सम्पन्न हुआ।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।